

(1)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 48 / 12015

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 48 / 15

संस्थापन दिनांक-05.03.2015

फाईलिंग नंबर-230303001352015

1. रमन गोयल पुत्र रामअवतार गोयल उम्र 42 साल
फैक्ट्री मैनेजर कैडवरी इण्डिया लिमिटेड
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0
2. सागर जैन पुत्र अनंतराम उम्र 39 साल
प्रोजेक्ट मैनेजर कैडवरी इण्डिया लिमिटेड
मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण

वि रु द्द

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-1650/2013 ई0फौ0 में पारित आदेश
दिनांक 05.01.15 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

निगरानीकर्तागण द्वारा श्री सौरभ अग्रवाल अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता।

--:-- आ दे श --:--

(आज दिनांक **04 मार्च-2016** को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण रमन गोयल एवं सागर जैन की ओर से उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी के द्वारा दाण्डिक प्र0क0-1650/13 में दिनांक 05.01.2015 को विरचित किये गये धारा-304 ए एवं 287 भा0द0वि0 के अपराध विवरण के माध्यम से विरचित आरोपों एवं उससे संबंधित आदेश से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि उक्त दोनों पुनरीक्षणकर्ता दाण्डिक प्र0क0-1650/13 इ0फौ0 के मामले से संबंधित घटना दिनांक 20.11.13 को कैडवरी इण्डिया लिमिटेड मालनपुर में कार्यरत होकर रमन गोयल फैक्ट्री मैनेजर एवं सागर जैन प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर पदस्थ थे।
3. पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि कैडवरीज इण्डिया लिमिटेड कंपनीज एक्ट 1913 के तहत पंजीकृत कंपनी है जो कि चॉकलेट और उससे संबंधित खाद्य उत्पादों का निर्माण करती है जो वर्ष 1989 से संचालित है। वर्ष 2012-13 में विस्तार की दृष्टि से लार्सन एण्ड टूब्रो इण्डस्ट्रीज इंजीनियरिंग सर्विस डिवीजन से विस्तार का अनुबंध किया था। जो दिनांक 13.03.13 को दोनों कंपनियों के मध्य हुआ था।

जिसका अनुबंध अनैकजर पी-3 के रूप में पेश किया गया है जिसमें जो शर्तें निर्धारित हुई थीं उससे निर्माण एवं विस्तार के बारे में संपूर्ण उत्तरदायित्व एल0 एण्ड टी0 कंपनी पर ही आना तय हुआ था। तथा माल सप्लाई करने के संबंध में कैडवरी इण्डिया लिमिटेड और डिग्री डे कंपनी पर था जो अनुबंध अनैकजर पी-4 के रूप में पेश करते हुए उसकी शर्त क्रमांक-16 (डी) के आधार पर यह तय था कि कैडवरी इण्डिया लिमिटेड कंपनी का कोई भी नियंत्रण नहीं होगा। और समस्त कार्य डिग्री डे कंपनी द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षणकर्ता पर थाना मालनपुर में डिग्री डे के कर्मचारी वीरेन्द्रसिंह राठौर की दुर्घटना में हुई मृत्यु के आधार पर जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसका कोई भी उत्तरदायित्व पुनरीक्षणकर्ता पर नहीं था इसलिये वे पंजीबद्ध अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलिप्त नहीं हैं और दोनों ही कंपनियों से जो अनुबंध हुआ था उसके आधार पर कैडवरी इण्डिया लिमिटेड के श्रमिक वीरेन्द्रसिंह राठौर के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के निर्देश पर या उनके नियंत्रण में रहते हुए कार्य नहीं किया है। बल्कि दिनांक 20.11.13 को रेवाशंकर जो कि सह अभियुक्त डिग्री डे इन्जीनियरिंग की ओर से सुपरवाइजर था, उसकी देखरेख में कार्य किया गया था जिसमें मृतक वीरेन्द्र राठौर के अलावा राकेश बघेल के द्वारा एच0व्ही0ए0सी0 एरिया में कार्य किया जा रहा था। और ए0एच0यू0 की चपेट में आने से वीरेन्द्र राठौर की मृत्यु हुई थी। उस समय पुनरीक्षणकर्तागण न तो मौके पर थे न ही उनका कोई उत्तरदायित्व था। उन्हें सामूहिक उत्तरदायित्व के अधीन अधिरोपित किया गया है। जबकि उनका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.01.15 को आरोप विरचित किये जाने संबंधी आदेश एवं धारा-304ए, 287 भादवि के अंतर्गत विरचित आरोप प्रथम दृष्ट्या ही अपास्त किये जाने योग्य हैं और वे उन्मोचित किये जाने योग्य हैं। इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अनुचित व अवैध होकर अपास्त किया जावे। क्योंकि पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा कोई कार्य उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से निष्पादित नहीं किया गया न ही उनके किसी कार्य से दुर्घटना घटी। बल्कि केवल रेवाशंकर सुपरवाइजर जिसके अधीन मृतक कार्य कर रहा था उसी के विरुद्ध आरोप विरचित किया जा सकता है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे और इसी आशय के पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से आधार लिये गये हैं और उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में भी यही व्यक्त किया गया है।

4. उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय हैं:-

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आरोप विरचित किये जाने संबंधी आदेश दिनांक 05 जनवरी-2015 एवं धारा-304 ए और 287 भादवि के विरचित आरोप वैद्यता, शुद्धता एवं औचित्यता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण विरचित आरोपों से उन्मोचित किये जाने योग्य हैं?

:- निष्कर्ष के आधार:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 एवं 2 का निराकरण

5. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
6. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधारों के अनुरूप ही तर्क करते हुए मूलतः यह व्यक्त किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता

रमन गोयल कैडवरी इण्डिया लिमिटेड का फैक्ट्री मैनेजर और सागर जैन प्रोजेक्ट मैनेजर था। तथा कैडवरी इण्डिया लिमिटेड कंपनी के निर्माण एवं विस्तार के संबंध में एल0एण्डटी0 कंपनी से जो अनुबंध हुआ था उसके तहत निर्माण विस्तार के संबंध में सभी प्रकार के उत्तरदायित्व एल0एण्डटी0 कंपनी थे। माल सप्लाई करने का उत्तरदायित्व और निर्माण एवं सुधार में लगने वाले श्रमिकों का उत्तरदायित्व डिग्री डे कंपनी पर था। उससे कैडवरी इण्डिया लिमिटेड का सीधा सरोकार नहीं था क्योंकि तीनों संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपने अपने अनुबंध के तहत कार्य कर रही थीं। पुनरीक्षणकर्तागण का उक्त संस्थाओं पर सीधा नियंत्रण नहीं था। उन्होंने कैडवरी इण्डिया लिमिटेड और डिग्री डे इंजीनियरिंग से हुए अनुबंध दिनांक 01.02.13 की कण्डिका-16 डी पर भी बल दिया है जिसके आधार पर यह कहा गया कि जो अभियोजन ने घटना बताई है उसके मृताबिक मृतक कर्मचारी डिग्री डे इंजीनियरिंग का श्रमिक था। और कैडवरी के नियंत्रण के अधीन नहीं था। इसलिये फैक्ट्री मैनेजर रमन गोयल का कोई उत्तरदायित्व नहीं बनता है तथा सागर जैन प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसका भी उत्तरदायित्व नहीं था। न ही इन दोनों की देखरेख में मृतक वीरेन्द्रसिंह राठौर के द्वारा कोई कार्य किया गया था। बल्कि रेवाशंकर जो डिग्री डे कंपनी का सुपरवाइजर था उसकी देखरेख में कार्य कर रहा था। इसलिये उसके विरुद्ध विचारण किया जा सकता है और पुनरीक्षणकर्ता मौके पर नहीं थे इसलिये उनके विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई चिंतन नहीं किया और औपचारिक रूप से आरोप विरचित कर दिये हैं जो कि कतई वैधानिक नहीं हैं। इसलिये आरोप संबंधी आदेश दिनांक 05.01.15 एवं विरचित आरोपों को अपास्त करते हुए पुनरीक्षणकर्तागण को उन्मोचित किया जावे।

7. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्कों का खण्डन करते हुए मूलतः यह तर्क किया है कि जिस मृतक की कार्य के दौरान मृत्यु हुई उसके लिये कैडवरी इण्डिया लिमिटेड के प्रबंधक, प्रोजेक्ट मैनेजर व सुपरवाइजर तथा मौके पर मौजूद प्रोजेक्ट इंजीनियर रौनक पांचाल, राकेश पाण्डे, सुपरवाइजर रेवा शंकर सभी उत्तराधिकार हैं और मर्ग जांच के पश्चात अपराध पंजीबद्ध हुआ था। प्रथम दृष्ट्या विचारण योग्य पर्याप्त सामग्री अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत हुई है। जो आधार पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से लिये गये हैं वे गुण-दोषों की विषयवस्तु हैं और आरोप के स्तर पर उन्हें नहीं देखा जाना है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो आरोप विरचित किये गये हैं, वह उचित व विधिसम्मत हैं। तथा पुनरीक्षण याचिका केवल विलंब करने के उद्देश्य से पेश की गई है जो सव्यय निरस्त की जावे।

8. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा किये गये तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। तथा पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधारों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के मूल दाण्डिक प्र0क0- 1650/13 के अभिलेख का परिशीलन किया गया। मूल अभिलेख के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 20.11.13 को सुबह करीब 10.00 बजे कैडवरी इण्डिया लिमिटेड की मालनपुर स्थित फैक्ट्री के ए0एच0यू0 सैक्शन में लापरवाही के चलते कर्मचारी वीरेन्द्रसिंह राठौर की ए0एच0यू0 सैक्शन के ब्लॉअर में चले जाने से मृत्यु हुई थी जिसकी मृतक के भाई जबरसिंह की सूचना पर से धारा-174 दप्रसं के तहत मर्ग क्रमांक-26/13 घटना दिनांक को ही पंजीबद्ध किया जाकर उसको जांच में लिया गया था। जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर बनाये गये नक्शामौका और मृतक वीरेन्द्रसिंह राठौर के ब्लॉअर में से शरीर के टुकड़े निकाले जाकर उसका शव परीक्षण कराया गया। तथा मर्ग जांच के दौरान साक्षियों के कथनों के आधार पर वीरेन्द्रसिंह राठौर की मृत्यु कैडवरी फैक्ट्री की मशीन के पंखे में फंसने से होना पाई गई और जो साक्ष्य संकलित हुई उससे यह पाया गया कि जिस मशीन के अंदर मृतक फंसकर कट गया था उस मशीनरी पर कार्य ककरने के लिये न तो उसे कोई ट्रेनिंग कंपनी द्वारा दी गई न ही उसे कोई अनुभव था। तथा ब्लॉअर के दरवाजे को मृतक ने खोला था व उसमें इण्टरलॉक नहीं था तथा ब्लॉअर के सामने

सुरक्षा जाली भी नहीं थी। ब्लोअर की सफाई जिसके लिये मृतक को कहा गया था, सफाई के पूर्व स्विच को बंद नहीं किया गया था। तथा सुपरवाइजर रेवाशंकर को परमिट प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करना था और राकेश पाण्डे कार्य प्रारंभ करने के समय मौके पर मौजूद था जिसने न तो मौके पर परमिट जारी किया। न रेवाशंकर ने प्राप्त किया। तथा मौके पर प्रोजेक्ट इंजीनियर रौनक पांचाल द्वारा भी कोई निर्देश नहीं दिये गये। ए0एच0यू0 प्रोजेक्ट का सुपरविजन कैडवरी इण्डिया मालनपुर की तरफ से सागर जैन द्वारा किया जा रहा था। और संपूर्ण फैक्ट्री का कार्यभार रमन गोयल जनरल मैनेजर के पास था जिनके द्वारा सुरक्षा उपाय नहीं किये गये जिसे घटना घटित हुई। इस कारण उक्त सभी के विरुद्ध धारा-304 ए एवं 287 सहपठित धारा-34 भादवि के तहत अभियोग पत्र पेश किया गया था।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता रमन गोयल और सागर जैन सहित सभी छः आरोपियों के विरुद्ध अपराध विवरण तैयार कर समंस विचारण करते हुए धारा-304ए एवं 287 भादवि के तहत आरोप लगाये जाकर अपराध की विशिष्टियाँ उन्हें सुनायी व समझाई जाकर उनके द्वारा अस्वीकार करने पर विचारण प्रारंभ किया। आरोप लगाते समय विचारण न्यायालय को यह देखना होगा है कि जो सामग्री उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है, क्या वह अग्रिम कार्यवाही के लिये पर्याप्त है या नहीं? उस स्तर पर यह देखा जाना आवश्यक व उचित नहीं है कि दोषसिद्धि होगी या नहीं होगी। जैसा कि न्याय दृष्टांत **सुरेश उर्फ पप्पू भुंजरमल करानी विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2001) 3 एससीसी पेज-703** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। तथा न्याय दृष्टांत **भारत पारिख विरुद्ध सी0बी0आई0 (2008) 10 एस0सी0सी0 पेज-109** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किये जाने के बिन्दु पर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय अभियुक्त के विरुद्ध केवल अभियोजन सामग्री तक ही सीमित रहना चाहिए। इस प्रक्रम पर लंबी जांच या मिनि ट्रायल करना अनुमत नहीं किया जा सकता है।

10. विचाराधीन पुनरीक्षण याचिका में पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका के समर्थन में कैडवरी इण्डिया लिमिटेड एवं एल0एण्डटी0 लिमिटेड (यूनिट आई0ई0एस0) के मध्य दिनांक 13.03.13 को हुए मास्टर सर्विस एग्रीमेन्ट एवं कैडवरी इण्डिया लिमिटेड और डिग्री डे इंजीनियरिंग के मध्य हुए माल सप्लाई के अनुबंध दिनांक 01 फरवरी-2013 की शर्तों के आधार पर बचाव का यह आधार लिया गया है कि पुनरीक्षणकर्तागण का कोई सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है इसलिये वे प्रकरण की कार्यवाही से उन्मोचित किये जाने योग्य हैं। क्योंकि न तो उनके समक्ष दुर्घटना घटी न ही उनके नियंत्रण के अधीन घटना घटी।

11. इस संबंध में पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में तीन न्याय दृष्टांत पेश किये हैं जिनमें न्याय दृष्टांत **कुर्बान हुसैन मुहम्मदाली रंगवाला विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 1965 सुप्रीमकोर्ट पेज-1616** पेश किया गया है जिसमें अपीलार्थी पेन्ट और वार्निश की फैक्ट्री का स्वामी था और वार्निश व पेन्ट के निर्माण के दौरान आग लग जाने से सात श्रमिकों की मृत्यु हो गयी थी। घटना के समय वह मौजूद नहीं था। न ही उसके द्वारा कोई कार्य किया जा रहा था जिसके आधार पर उसका कोई भी उपेक्षापूर्ण या उतावलेपन के संबंध में कोई कृत्य न होना मानते हुए उसे कार्यवाही से मुक्त किये जाने का मार्गदर्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसके आधार पर विचाराधीन मामले में भी पुनरीक्षणकर्तागण के मौके पर मौजूद न होने और उनकी देखरेख में कार्य के दौरान दुर्घटना न होने के आधार पर उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गई है जबकि विचाराधीन मामले में जो मर्ग जांच हुई उसके दौरान क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉ0 संदीप तोमर के द्वारा भी मौका देखा गया और घटनास्थल का निरीक्षण प्रतिवेदन देते हुए यह मत दिया गया कि ए0एच0यू0 यूनिट के इंचार्ज से मृतक

कर्मचारी के कार्य, यूनिट की कार्य प्रणाली, सुरक्षा उपायों एवं घटना के कारणों को स्पष्ट करने में सहायक अन्य जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।

12. मर्ग जांच के दौरान जो सामग्री संकलित की गई उससे प्रथम दृष्ट्या पाया गया कि मृतक को ए0एच0यू0 यूनिट के जिस ए0सी0 पाईपिंग डक्टिंग इन्सुलेशन ग्रिल फिक्सिंग का कार्य कराया जा रहा था उसकी उसे कोई ट्रेनिंग नहीं थी। न कोई अनुभव था। तथा जिस ब्लॉअर में मृतक की लाश दरवाजा खोलकर निकाली गई थी उसमें इंटरलॉक नहीं था। ब्लॉअर के पंखे के सामने सुरक्षा जाली नहीं थी। सुपरवाइजर ने स्विच को सफाई के पूर्व बंद नहीं कराया था। न ही कार्य प्रारंभ करने के पहले राकेश पाण्डे ने कोई परमिट दिया था जो कि उसके लिये अधिकृत था न ही सुपरवाइजर रेवाशंकर ने उसे प्राप्त किया और प्रोजेक्ट इंजीनियर भी मौजूद था। पुनरीक्षणकर्ता सागर जैन प्रोजेक्ट मैनेजर है इसलिये उसका प्रोजेक्ट के संबंध में सभी प्रकार का उत्तरदायित्व और नियंत्रण प्रथम दृष्ट्या बनता है तथा रमन गोयल संपूर्ण फैक्ट्री का जनरल मैनेजर था। ऐसे में उसका भी सामूहिक उत्तरदायित्व प्रथम दृष्ट्या बनना प्रतीत होता है।

13. जहाँ तक अनुबंध की शर्तों का प्रश्न है, यह गुण-दोषों की विषयवस्तु है और वह बचाव का आधार तो हो सकता है किन्तु उसे आरोप विरचन के समय संज्ञान में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि आरोप विरचित करते समय अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाना है। अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ही आरोप विरचित किये जाते हैं। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **ओमकारनाथ मिश्रा विरुद्ध स्टेट (2008) 2 एस0सी0सी0 पेज-561** तथा माननीय मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **बसंतकुमार रावत विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 आई0एल0आर0 2013 एम0पी0 पेज-950 (डी0बी0)** का मार्गदर्शन अवलोकनीय है। इसलिये पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत किये गये **कुर्बान हुसैन वाले न्याय दृष्टांत** जिसकी परिस्थितियाँ वर्तमान मामले से मेल नहीं खाती हैं उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। और सामूहिक उत्तरदायित्व के तहत उन पर विरचित आरोप के बाबत विचारण हेतु पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर प्रस्तुत होना पाई जाती है। क्योंकि धारा-287 भादवि में मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाये, का अपराध बनता है और सामान्य नियंत्रण दोनों पुनरीक्षणकर्तागण का था। पुनरीक्षणकर्तागण के द्वारा मृतक वीरेन्द्रसिंह राठौर की ब्लॉअर में फंसकर कटकर मृत्यु हो जाने के बाद उनकी ओर से कोई सक्रियता दिखाते हुए कार्यवाही की जाना परिलक्षित नहीं होता है क्योंकि घटना की रिपोर्ट भी मृतक के भाई के द्वारा की गई जो भी श्रमिक के रूप में कार्यरत था तथा धारा-304 ए भादवि में भी उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण किये गये किसी कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो अपराध मानव वध की कोटि में नहीं आता हो वह अपराधी होने का उपबन्ध है। इसलिये पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किया गया तर्क विधिसम्मत नहीं है न ही स्वीकार किये जाने योग्य है और विचारण की पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध होना पाई जाती है।

14. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये अन्य न्याय दृष्टांत **मकसूद सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ गुजरात (2008) 5 एस0सी0सी0 पेज-668** पेश किया गया है जिसकी कण्डिका-13 पर बल दिया गया है। उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में भी भिन्न परिस्थितियाँ हैं। न्याय दृष्टांत का मामला प्राईवेट परिवाद पर आधारित था। और उसमें इक्विटी शेयर से संबंधित परिवाद था। जिसमें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं डायरेक्टर्स का सामूहिक प्रभाव नहीं माना गया था। तथा परिवाद धारा-500 भादवि के अंतर्गत मानहानि के अपराध से संबंधित था जिसकी परिस्थितियाँ भी इस प्रकरण से कतई मेल नहीं खाती हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व के संबंध में उपर स्पष्ट किया गया है।

15. इसी प्रकार अन्य न्याय दृष्टांत **केकी हरमुस्जी गार्धा एवं अन्य विरुद्ध**

मेहरबान रुस्तम ईरानी एवं अन्य ए0आई0आर0 2009 एस0सी0 पेज-2594 को पेश करते हुए निर्णय की कण्डिका-13 एवं 14 पर बल दिया है। न्याय दृष्टांत के मामले में पूर्व निर्माण को हटाकर भवन के नवनिर्माण के संबंध में विवाद था। और वह मामला सदोष परिरोध से संबंधित धारा-341 भादवि के अपराध से संबंधित था जिसमें अपीलार्थी जो कि मौके पर मौजूद नहीं थे और उनका कोई प्रत्यक्ष कृत्य नहीं था, इस आधार पर उन्हें उन्मोचित किया गया था जो कि दप्रसं 1973 की धारा-482 भादवि के प्रावधान इस स्तर पर इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का नहीं है। और घटना व उसकी परिस्थितियाँ इस प्रकरण की घटना एवं परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न हैं जैसा कि उपर स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिये पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त न्याय दृष्टांतों का पुनरीक्षणकर्तागण को कोई लाभ प्राप्त नहीं होना पाया जाता है। और अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन से विचारण के लिये पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होना पाई जाती है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका में जो आधार लिये गये हैं वे इस स्तर पर स्वीकार योग्य नहीं हैं। बल्कि गुणदोषों पर ही उन्हें विचार में लिया जा सकता है। सुरक्षा के उपायों, घटनास्थल यूनिट की कार्य प्रणाली और घटना के कारणों के संबंध में जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से संकलित कर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी वह विचारण के लिये पर्याप्त है। इसलिये प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है। फलतः निरस्त की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.15 एवं विरचित आरोपों को स्थिर रखा जाता है।

16. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे कि प्रकरण का शीघ्र विचारण विधि की प्रक्रिया के तहत किया जावे।

दिनांक

04.03.16

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)